उत्तराखण्ड सरकार

पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड
Department of Animal Husbandry Uttarakhand

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड आपका स्वागत करता है।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

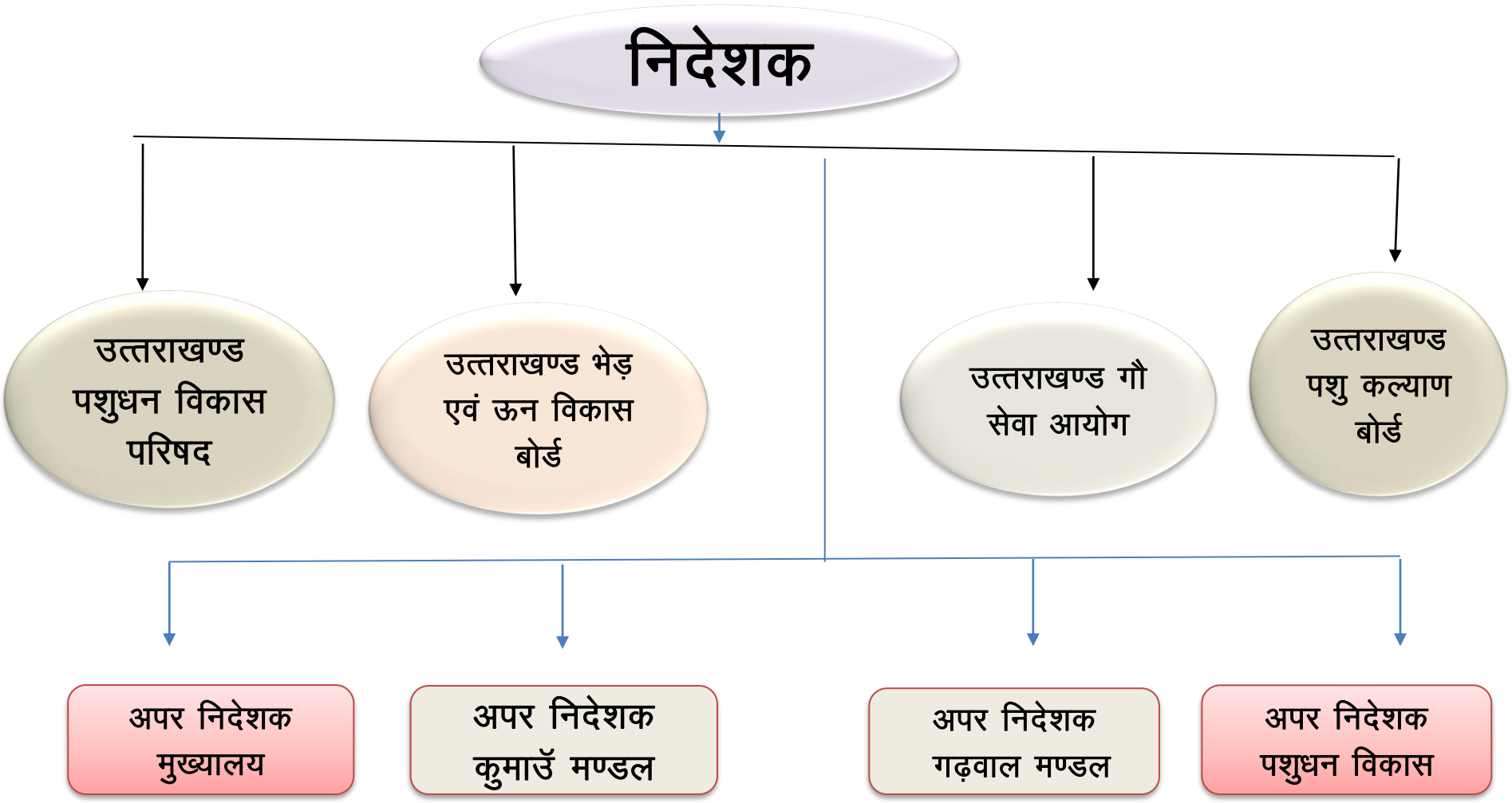

विभागीय ढांचा

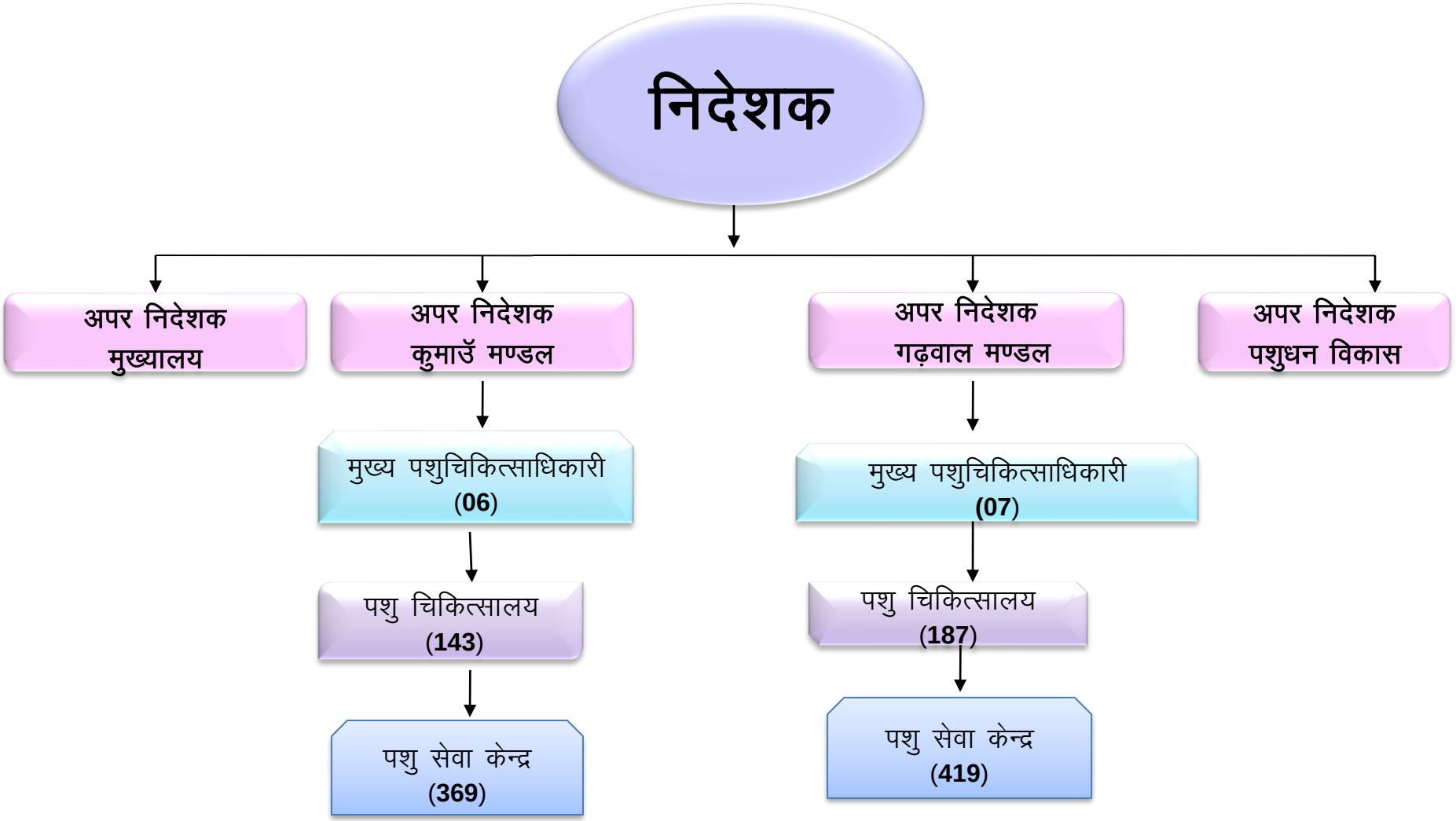
निदेशक
अपर निदेशक मुख्यालय
अपर निदेशक कुमाउॅ मण्डल
अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल
अपर निदेशक पशुधन विकास
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (06)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (07)
पशु चिकित्सालय (143)
पशु चिकित्सालय (187)
पशु सेवा केन्द्र (369)
पशु सेवा केन्द्र (419)

स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

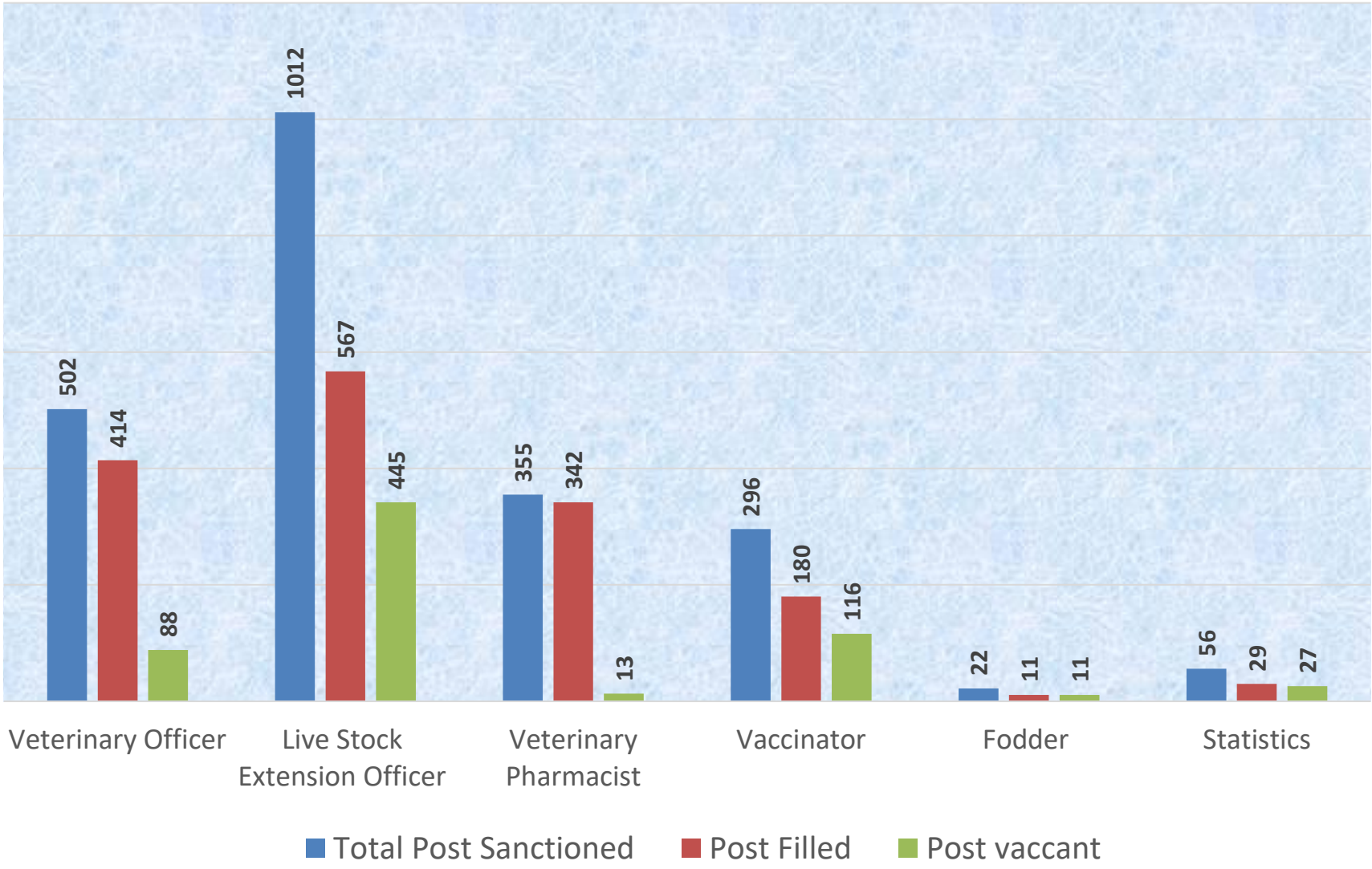

स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

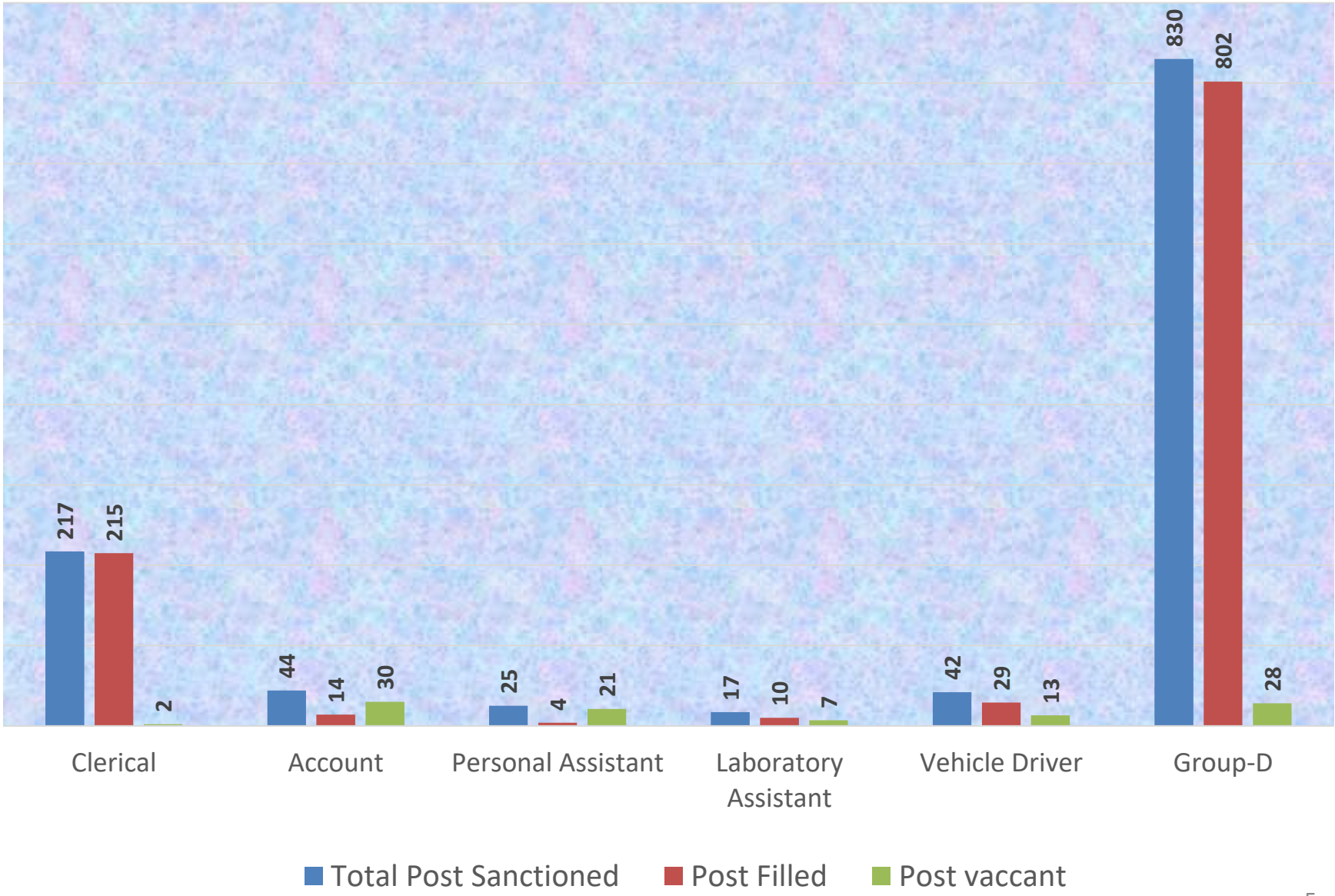

उत्तराखण्ड राज्य की 19 वी पशुधन संगणना 2012 तथा 20 वी पशुधन संगणना 2019 का तुलनात्मक विवरण (लाख संख्या में)

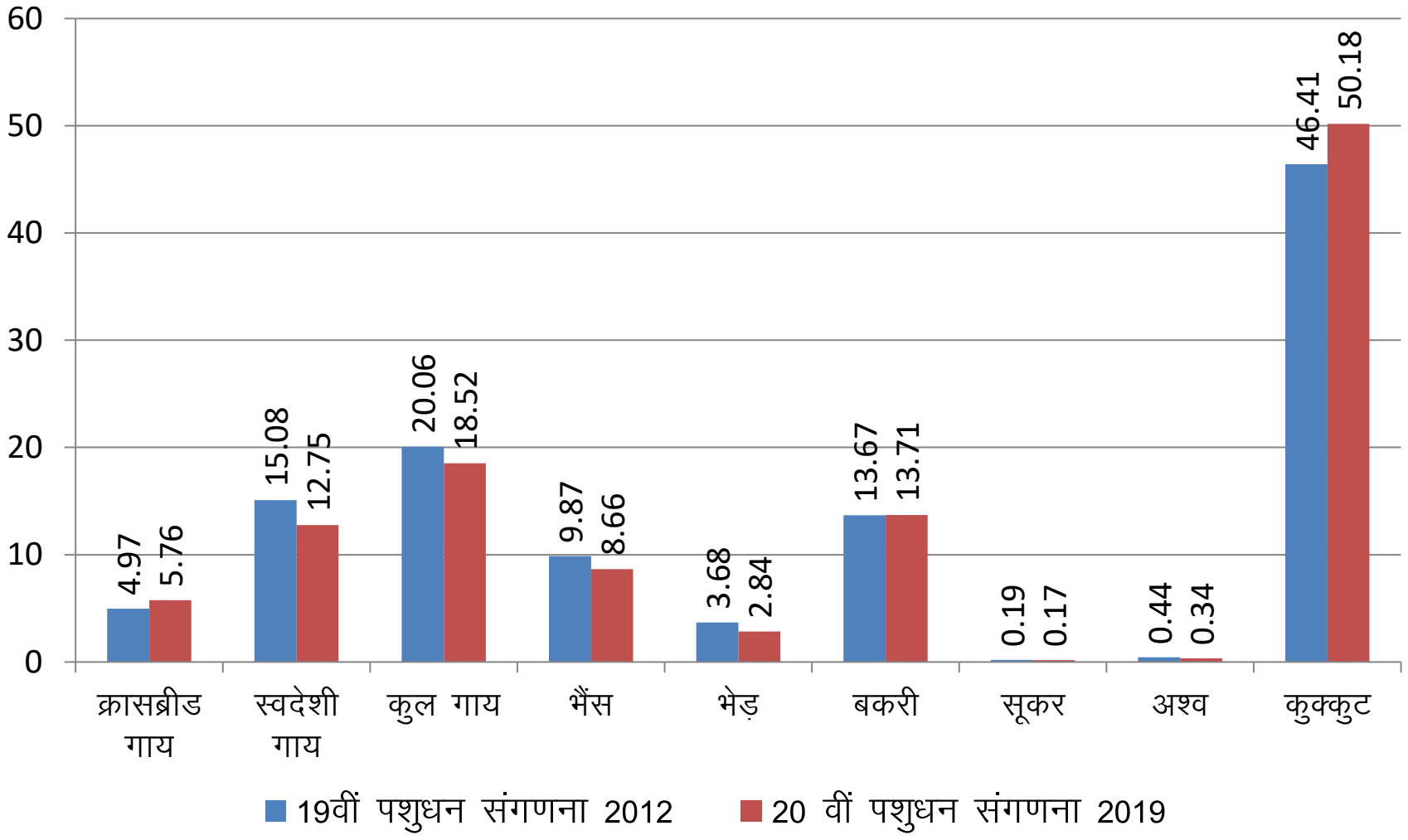

उत्तराखण्ड में मुख्य पशुजन्य उत्पाद वर्ष 2016–17 व 2021–22 की तुलना

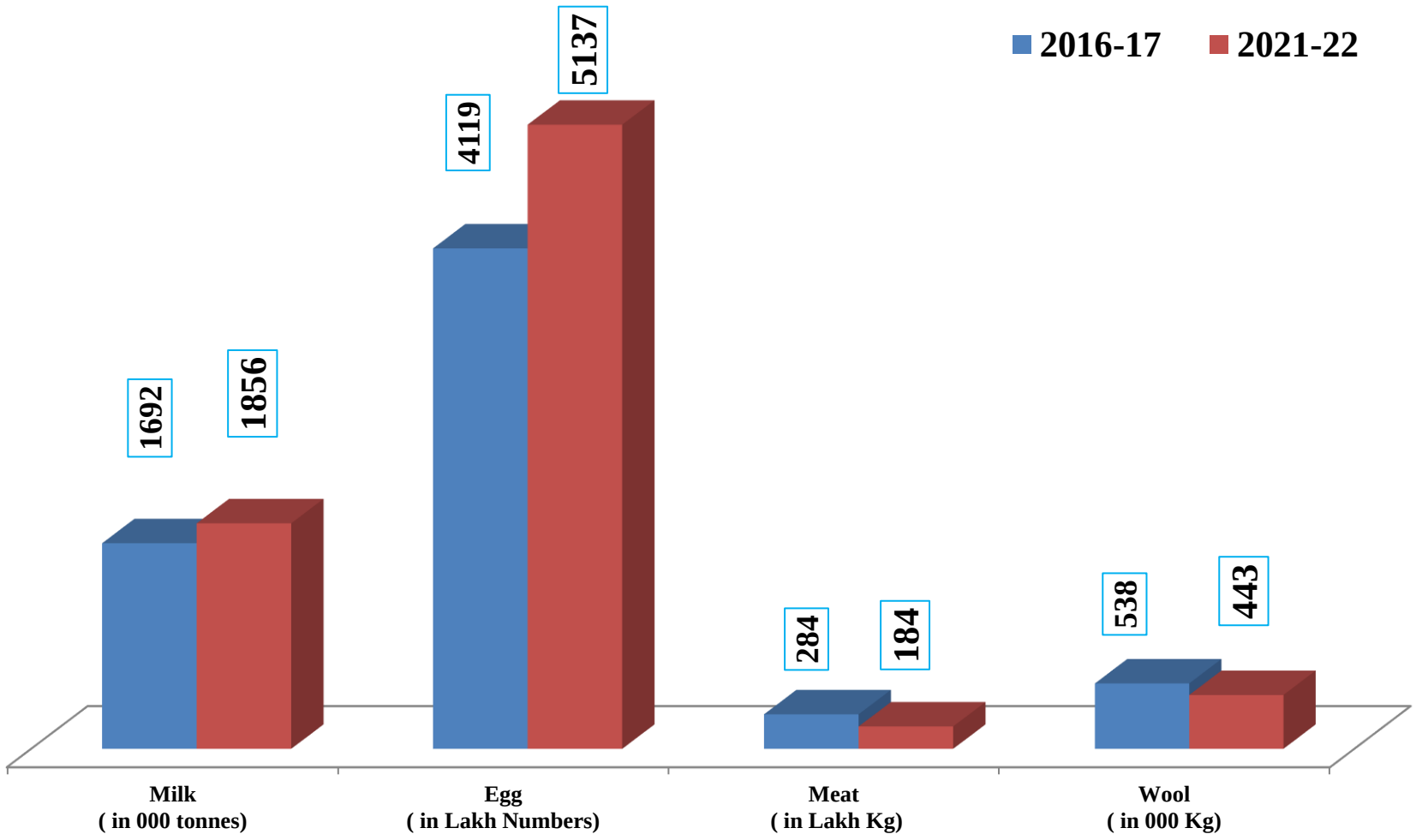

उत्तराखण्डः 20 वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार पशुपालक परिवारों की संख्या

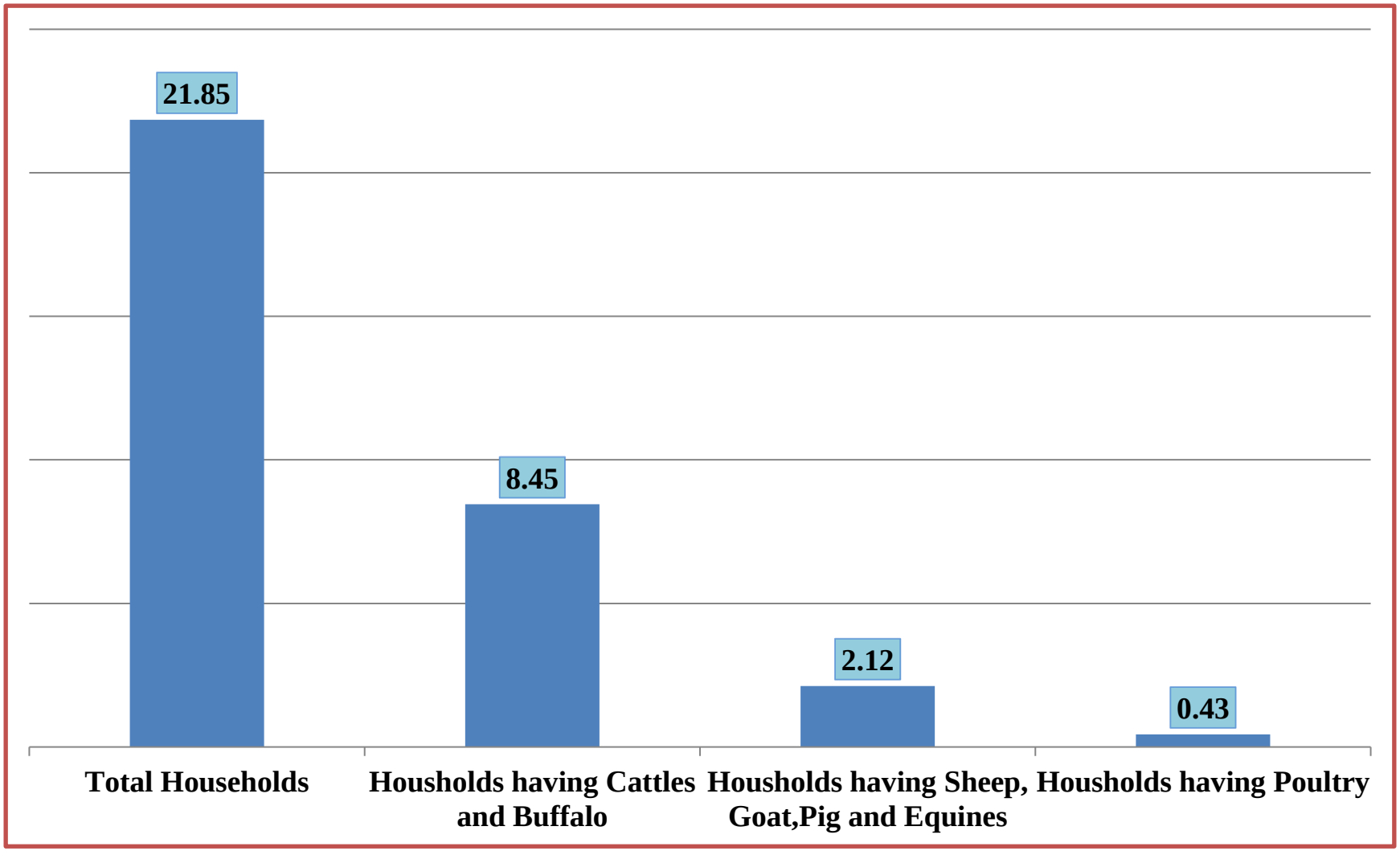

विभाग में केन्द की गतिमान योजनायें एवं योजना में व्यय की स्थिति (वर्ष 2023–24)

माह जून 2023 तक

धनराशि लाख रू० में

क्र०सं०	योजना का नाम	प्रावधान	स्वीकृति	व्यय	व्यय %
01	पशुरोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता	1872.05	0.00	0.00	0.00
02	पशुचिकित्सालय/पशुऔषधालयों की स्थापना एम.वी.यू. का संचालन	1146.00	0.00	0.00	0.00
03	नेशनल लाईवस्टाक मिशन	1466.60	0.00	0.00	0.00
04	लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन सुविधा	0.03	0.00	0.00	0.00
05	प्रदेश में पशुगणना का कार्य	0.03	0.00	0.00	0.00
06	पशुपालन सांख्यिकीय इकाई की स्थापना	131.10	128.34	34.48	26.87%
कुल योग		**4615.81**	**128.34**	**34.48**	**26.87%**

विभाग में राज्य की गतिमान योजनायें एवं योजना में व्यय की स्थिति (वर्ष 2023–24)

मह जून 2023 तक

धनराशि लाख रू० में

क्र०सं०	योजना का नाम	प्रावधान	स्वीकृति	व्यय	व्यय %
01	निदेशन तथा प्रशासन–निदेशालय	27161.80	27161.80	6852.19	23.38
02	राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत पशुधन बीमा योजना	0.01	0.00	0.00	0.00
03	नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना/पशुधन संजीवनी	13.30	13.30	2.11	15.86
04	कृत्रिम गर्भाधान हेतु बायफ केन्द्रों का संचालन	360.87	360.87	8.17	2.26
05	राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य	300.00	54.038	54.038	100
06	पशुपालकों को लिंग वर्गीकुत वीर्य हेतु अनुदान	2500.00	1500.00	917.18	61.45
07	परजीवी कृमियों से बचाव	459.25	459.25	23.09	5.03
08	पैरावेट को कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन योजना	100.00	100.00	25.23	25.23
09	भेड बकरी विकास विभाग/ऊन कतरन	0.01	0.01	0.00	0.00
10	पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने की योजना	20.00	20.00	0.00	0.00
11	गौ सदनों की स्थापना	1415.18	0.00	0.00	0.00
12	महिला बकरी पालन योजना	105.00	105.00	18.90	18.00
13	मदर पोल्ट्री इकाई की स्थापना	900.00	900.00	163.50	18.17
14	सूकर पालकों को सूकर शावक दिया जाना (वन टाईम)	0.01	0.00	0.00	0.00

विभाग में राज्य की गतिमान योजनायें एवं योजना में व्यय की स्थिति (वर्ष 2023–24)

माह जून 2023 तक

धनराशि लाख रू० में

क्र०सं०	योजना का नाम	प्रावधान	स्वीकृति	व्यय	व्यय%
15	बकरी पालन योजना	801.36	801.36	85.68	10.69
16	भेड पालन योजना	88.83	88.83	0.00	0.00
17	गो पालन योजना	318.96	318.96	90.00	28.22
18	नाबार्ड पोषित योजनायें (राजस्व एवं पूजीगत)	3000.01	2310.13	148.43	0.40
19	चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना	50.00	34.00	0.00	0.00
20	चारा बीज वितरण की योजना	100.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**37694.59**	**34327.548**	**7888.518**	**22.98**
सम्पूर्ण योग (केन्द्र एवं राज्य सैक्टर)		**42310.40**	**34455.888**	**7922.998**	**22.99**

पशुपालन विभाग की मुख्य स्वरोजगारपरक योजनाऐं

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का संचालन
01	गौ पालन योजना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
02	बकरी पालन योजना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
03	भेड़ पालन योजना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
04	महिला बकरी पालन योजना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
05	कुक्कुट वैली की स्थापना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
06	ब्रायलर फार्म की स्थापना	राज्य सरकार द्वारा संचालित
07	गोट वैली की स्थापना	राज्य सरकार द्वारा संचालित
08	बैकयार्ड कुक्कुट पालन ईकाई योजना	जिला सैक्टर द्वारा संचालित
09	उद्यमिता विकास योजना (राष्ट्रीय पशुधन मिशन)	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
10	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
11	भेड़ पालकों के हितार्थ संचालित योजनाए (राष्ट्रीय पशुधन मिशन)	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
12	मेढ़ा वितरण कार्यक्रम (Ram Replacement)	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
13	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना – भेड़ बकरी सेक्टर	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित

विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगारपरक योजनाऐं

संख्या में

क्र.सं.	योजनाऐं	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24 (प्रस्तावित लक्ष्य)
1.	गौ पालन योजना	652	666	660	674	616	617	886
2.	बकरी पालन योजना	175	348	434	517	524	1186	1272
3.	भेड़ पालन योजना	88	109	149	148	132	120	141
4.	महिला बकरी पालन योजना	85	0	223	358	300	300	300
5.	बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाई योजना	7802	7300	12077	16320	10678	7410	

गौ पालन योजना

- गौ पालन योजना राज्य सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एस0ई0सी0सी0 वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु द्वितीय अथवा तृतीय ब्यांत तक की गाय की इकाई 90 प्रतिशत राजकीय अनुदान अंश एवं इकाई 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश में उपलब्ध करायी जाती है।
- एक ईकाई की कुल लागत रू0 40,000 (36,000 राज्य अंश एवं 4,000 लाभार्थी अंश) है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में रू0 222.12 लाख से 617 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत 886 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

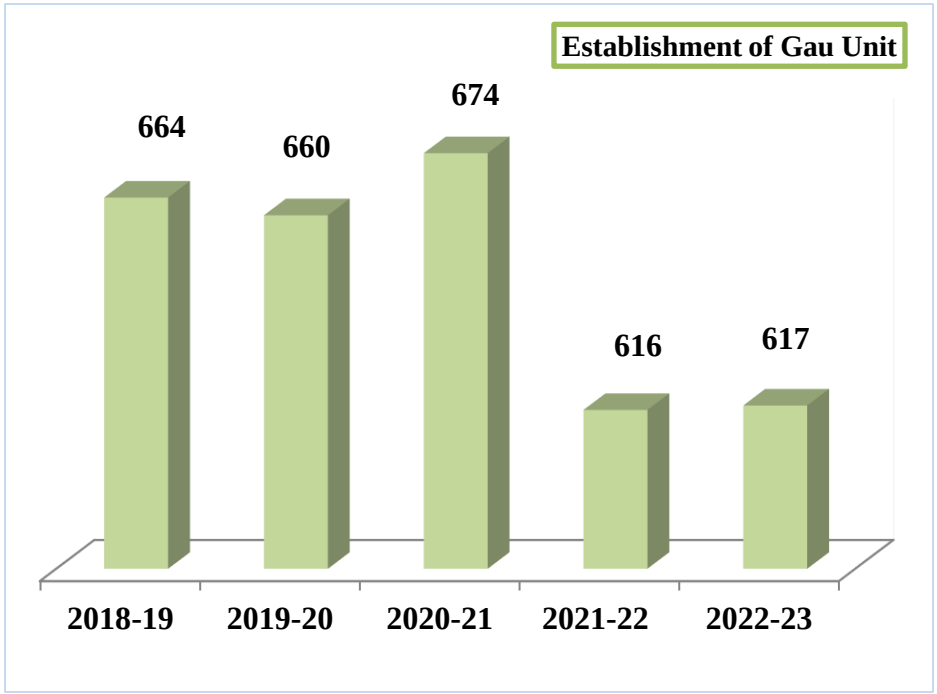

बकरी पालन योजना

- बकरी पालन योजना राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्य के सभी वर्गो के एस0ई0सी0सी0 में आने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक ईकाई (10+01) बकरियां उपलब्ध कराई जाती है।
- एक इकाई की कुल लागत रू0 70,000 (63,000 राज्य अंश एवं 7,000 लाभार्थी अंश) है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में रू0 747.18 लाख से 1186 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत 1272 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

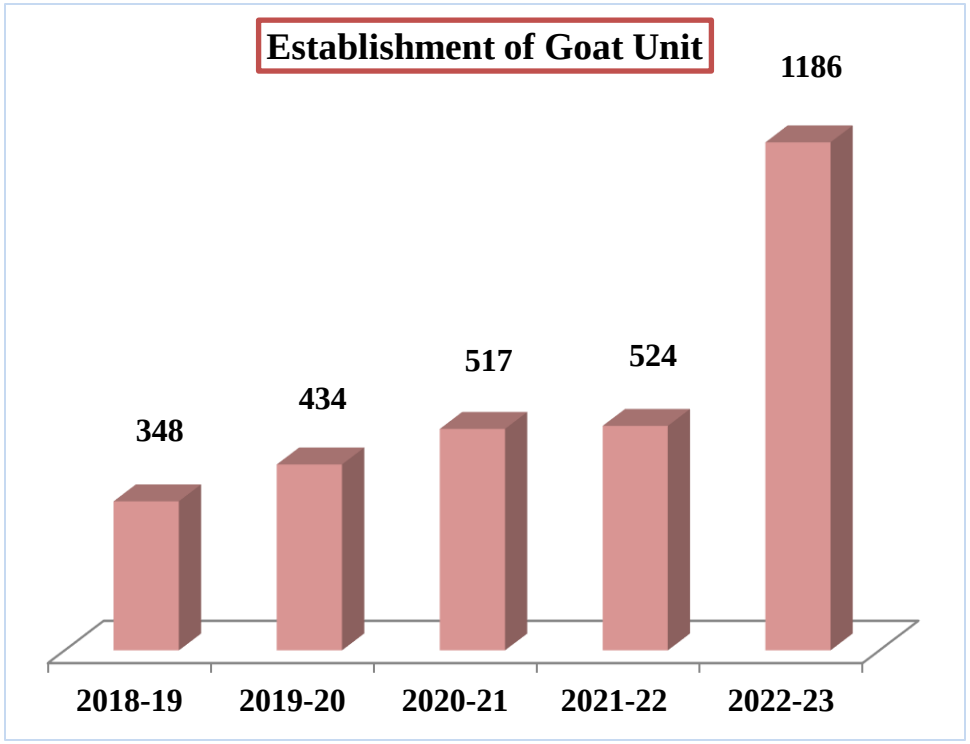

भेड़ पालन योजना

- भेड पालन योजना राज्य सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एस0ई0सी0सी0 वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक इकाई (10+01) भेडों की उपलब्ध कराई जाती है।
- एक इकाई की कुल लागत रू0 70,000 (63,000 राज्य अंश एवं 7,000 लाभार्थी अंश) है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में रू0 75.60 लाख से 120 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत 141 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

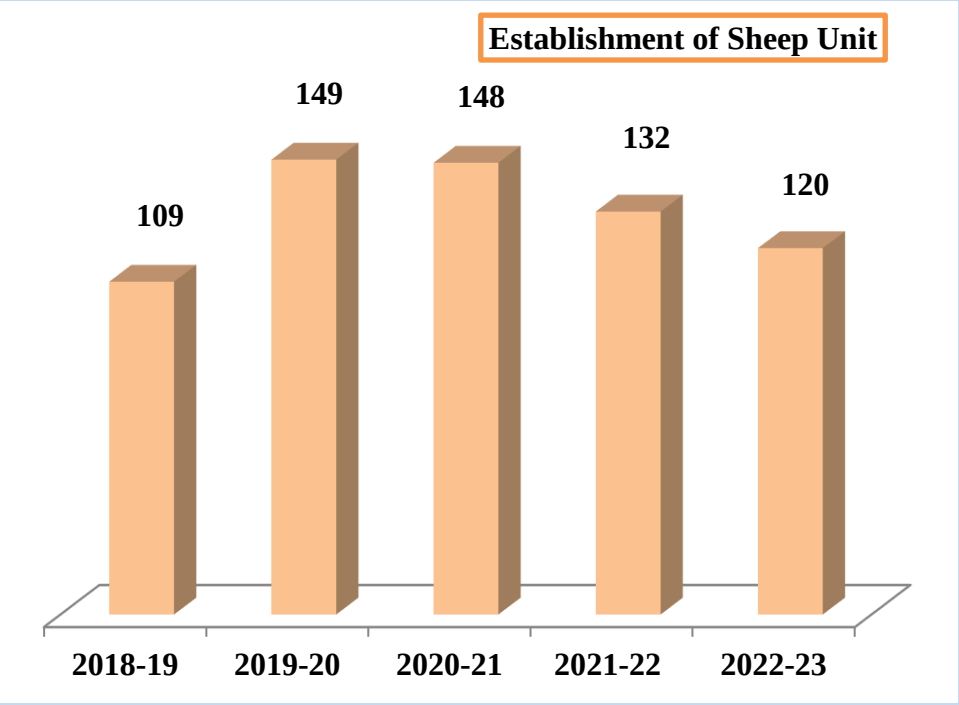

महिला बकरी पालन योजना

- राज्य में परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को स्वावलम्बी एवं सम्मानजनक आर्थिक स्थिति में लाने तथा स्वरोजगार प्रदान करने हेतु शत् प्रतिशत् अनुदान पर योजना संचालित की जा रही है।
- इस योजनान्तर्गत एक ईकाई की लागत रू0 35,000 है, वर्ष 2022–23 में रू0 105.00 लाख से 300 (04+01) बकरियां लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत 300 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

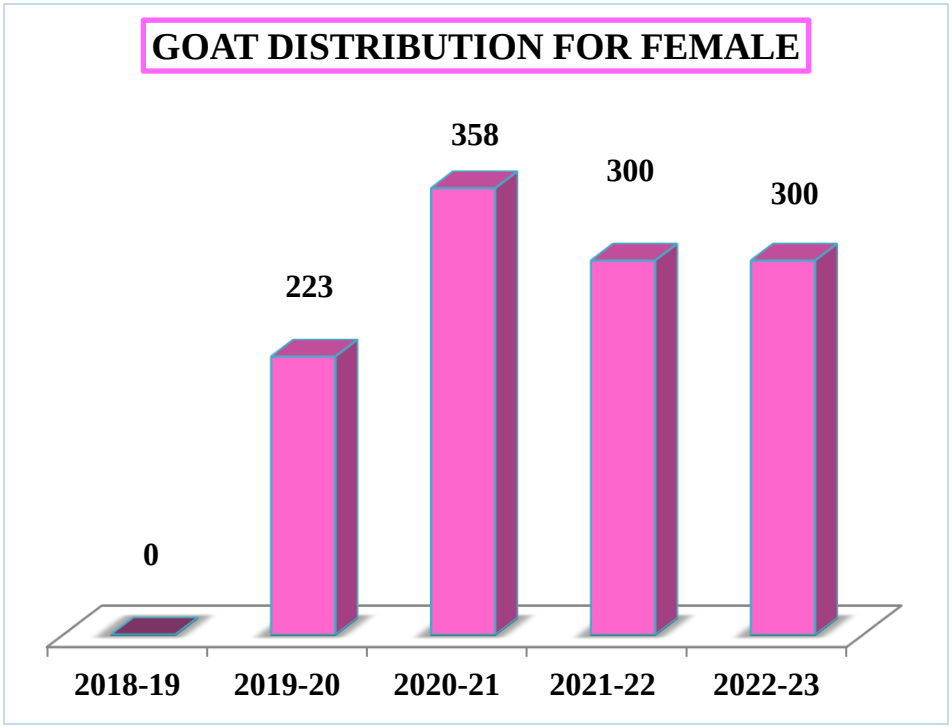

बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना

- कुक्कुट पालन योजना जिला सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 50 कुक्कुट पक्षी क्षमता की एक कुक्कुट इकाई शत प्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ–साथ परिवार के पोषण मूल्य में वृद्धि करना है। वर्ष 2022–23 में रू0 473.81 लाख से 15,554 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

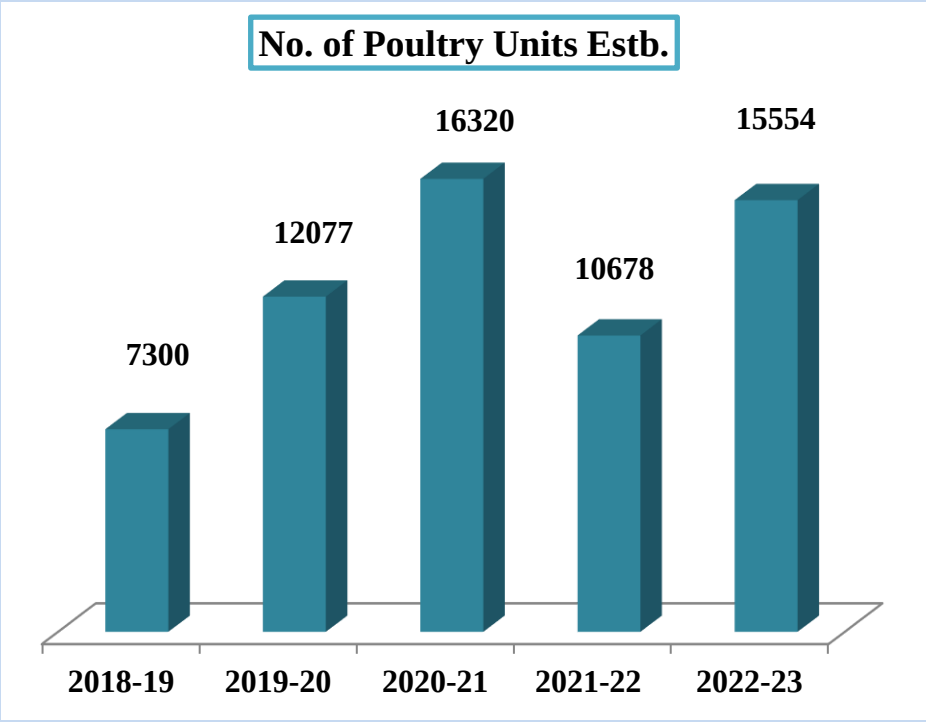

कुक्कुट वैली की स्थापना

- राज्य के 13 जनपदों मे प्रथम बार कुक्कुट वैली की स्थापना क्लस्टर अप्रोच के तहत की जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत 5000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा। जिसमें वर्ष 2022–23 में 2000, वर्ष 2023–24 में 2000 एवं वर्ष 2024–25 में 1000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना के अन्तर्गत 250 पक्षी क्षमता के लो इनपुट टैक्नोलॉजी के प्रक्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।
- प्रथम चरण में योजना गढवाल मण्डल के 5 जनपदों में संचालित की जा रही है।
- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 300.00 लाख का बजट व्यवस्था है।

क्र.सं.	जनपद का नाम	वैली की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	प्रक्षेत्रों की संख्या
1	टिहरी गढवाल	1	300	300
2	पौड़ी गढवाल	1	300	300
3	हरिद्वार	1	500	500
4	रूद्रप्रयाग	1	300	300
5	देहरादून	1	600	600
	योग	5	2000	2000

ब्रायलर फार्म की स्थापना

- वर्ष 2022–23 में सम्पूर्ण राज्य में क्लस्टर अप्रोच के तहत 500 पक्षी की क्षमता वाले 333 ब्रायलर फार्म की स्थापना की जायेगी।
- इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 200.00 लाख का बजट व्यवस्था है।
- योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 333 मुर्गी पालक लाभान्वित होंगे।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र 6 बैच में 3000 पक्षी (500 पक्षी प्रति प्रक्षेत्र) पालेगा।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र को कुल रूपये 60,000 का अनुदान दिया जायेगा।

  क. पक्षियों के खरीद हेतु रूपये 15 प्रति पक्षी एवं रूपये 7,500 प्रति बैच कुल रूपये 45,000

  ख. बाड़े की मरम्मत हेतु रूपये 15000

गोट वैली की स्थापना

- राज्य के 13 जनपदों में प्रथम बार गोट वैली की स्थापना क्लस्टर अप्रोच के अर्न्तगत एवं हब व स्पोक मॉडल में संचालित की जा रही है।
- प्रथम चरण में योजना राज्य के 5 जनपदों बागेश्वर, अल्मोडा, चमोली, रूद्रप्रयाग तथा पौडी में संचालित की जा रही है।
- गोट वैली में 100 या 100 से अधिक स्पोक हो सकते है तथा 01 स्पोक में न्यूनतम 21 बकरी यूनिट (20 मादा व 01 नर) होना आवश्यक है तथा 01 बीडिंग हब जोकि 525 (500+25)/320 (300+20)/210 (200+10)/105 (100+05) होगा।
- गोट वैली की स्थापना पशुपालन विभाग की जिला योजना, REAP अनुदान तथा दीनदयाल उपाध्याय योजना से ब्याज मुक्त ऋण, उत्तराखण्ड राज्य भेड बकरी शशक पालक को–आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से ब्याजयुक्त ऋण से वित्त पोषित है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनान्तर्गत (उद्यमी विकास परियोजना) भेड, बकरी, सूकर, कुक्कुट एवं साईलेज उत्पादन की योजनाओं में 50 प्रतिशत कुल पूंजीगत परियोजना लागत का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
- आवेदन एवं सम्पूर्ण जानकारी हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बेबसाइट पर उपलब्ध है। (nlm.udyamimitra.in)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना

क्र. सं.	योजना की ईकाई का नाम	आकार	अधिकतम अनुदान की राशि	आवेदन की श्रेणी
1	भेड या बकरी पालन	100 मादा + 05 नर	10 लाख	व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह, फारमर्स प्रोडयूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ), किसान सहकारी समितियों (एफसीओ), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)
		200 मादा + 10 नर	20 लाख	
		300 मादा + 15 नर	30 लाख	
		400 मादा + 20 नर	40 लाख	
		500 मादा + 25 नर	50 लाख	
2	सूकर पालन	50 मादा + 5 नर	15 लाख	
		100 मादा + 10 नर	30 लाख	
3	कुक्कुट पालन	1000 पेरेंट लेयर	25 लाख	
4	साईलेज उत्पादन		50 लाख	

राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना

- कुल प्राप्त आवेदन – 75
- आवेदकों को लौटाए गये आवेदन – 40
- ऋण स्वीकृति के लिए बैंक में लम्बित आवेदन – 26
- बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन – 09
- सब्सिडी जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आवेदन – 07

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत संचालित ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म अन्तर्गत पर्वतीय राज्यों में गाय/भैसों की नस्ल वृद्धि करते हुये 50 पशुओं की ईकाई स्थापित की जाने की व्यवस्था है।
- भारत सरकार द्वारा उक्त ईकाई की स्थापना हेतु कुल परियोजना के अधिकतम पूंजीगत निवेश रू0 एक करोड पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।
- इस योजना का लाभ व्यक्तिगत पशुपालक, स्वयं सहायता समूह एवं फारमर्स प्रोडयूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) को दिया जायेगा।
- आवेदन एवं सम्पूर्ण जानकारी हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बेबसाइट पर उपलब्ध है। (eoi.nddp.coop)
- वर्तमान तक उक्त योजना हेतु जनपद उधमसिंह नगर से 11 एवं देहरादून 05 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश (दिनांक 27/10/2016)

राज्य के सभी पशु अधिकारीयों के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही

निराश्रित पशुओं का उपचार

स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत)

- गौशाला/गौसदन का निर्माण
- गौशाला/गौसदन तक सुरक्षित यातायात
- मार्गों पर यातायात सुचारू रूप से चलने हेतु पशुओं के अधिकारिता क्षेत्र में पडने वाले सभी मार्गों को निराश्रित पशुओं से मुक्त रखा जाएगा
- निराश्रित पशुओं के मालिकों की खोज करने हेतु उनके मालिकों को इंगित करने वाला एक टैग नम्बर दिया जाएगा

अधीक्षण अभियन्ता राष्ट्रीय/ प्रादेर्शिक राजमार्ग, केन्द्रीय/राज्य, लोक निर्माण के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही

राज्य में पडने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रादेशिक राजमार्गों से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को यह व्यवस्था सुनिश्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि कोई भी निराश्रित पशु (गायों और सांडों सहित) मार्ग पर न आ सकें

निराश्रित गौवंश

- पशुपालन विभाग द्वारा निराश्रित गौवंश की चिकित्सा, टीकाकरण एवं टैगिंग की सुविधाएं प्रदान की जाती है। गौशालाओं के अन्तर्गत निराश्रित गौवंश के भरण–पोषण एवं गौशालाओं के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा निर्धारित अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

अलाभकर गोवंश की देख–रेख हेतु गौशाओं की स्थापना

मानक–

- अलाभकर गोवंश की देख–रेख के लिये संस्था स्थापित करने हेतु सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं के आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे जो कि–
- 1–संस्था गोवंश तथा अन्य पशुओं के कल्याण हेतु पंजीकृत हो।
- 2–बिना लाभ अर्जन हेतु गोवंश के कल्याण हेतु पंजीकृत धर्मार्थ संस्था अथवा
- 3–विधि के अधीन पंजीकृत लोकन्यास हो।
- •गोसेवा/गोवंश कल्याण कार्यो में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा योग्यता क्षमता वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
- •ऐसी संस्थायें जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो तथा भूमि संस्था के कब्जे में हो, को प्राथमिकता दी जाय। संस्था द्वारा भूमि पट्टे पर लिये जाने की दशा में भूमि आगामी 30 वर्षों तक पट्टे पर उपलब्ध होने के लिखित अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। संस्था को सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र पर (प्ररूप–13) आवेदन करना होगा।

चयन प्रक्रिया– आवेदन पत्रों की जांच सक्षम अधिकारियों के माध्यम से की जायेगी, जिसके उपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा–

1	मंत्री, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग	सदस्य
3	सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार	सदस्य
5	सचिव, उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग	सदस्य सचिव
6	सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड	सदस्य

अलाभकर निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने व गौसदन संचालन हेतु दिशा–निर्देश

- गौसदन के प्रस्तावानुरूप निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकार गोवंश (वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गो –तस्करों से जब्त किए गए न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी
- गौसदन को निर्माण हेतु एकमुश्त 40 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी एवं गोवंशीय पशुओ के भरण–पोषण हेतु धनराशि 80 रूपया प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जायेगा
- गौसदन की वर्तमान क्षमता को बढाने हेतु भूमि जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से लीज पर आवंटित की जाएगी

गौशाला का निरीक्षण।

ग्राम गोसेवक गौसदन योजना

- प्रत्येक ग्राम गोसेवक द्वारा 05 परित्यक्त नर गौवंश को शरण दी जाएगी
- तहसील स्तरीय चयन समिति द्वारा गौसेवक का चयन किया जाएगा (उप जिलाधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1/पशुधन प्रसार अधिकारी)
- शासनादेश संख्या–924/XV1/23-7(14)22 दिनांक 25 मई 2022 द्वारा प्रति गोवंश प्रतिदिन 80 रूपया भरण–पोषण हेतु दिया जाएगा
- क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रति माह नर गोवंश का स्थलीय निरीक्षण एवं बिलों के सत्यापन उपरान्त ही ग्राम्य गोसेवक के बिलों का भुगतान किया जाएगा

अन्य स्वरोजगारपरक योजनाऐं

- पशुपालन विभाग की राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत बायफ के माध्यम से वर्ष 2022–23 में 62 नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये है, तथा वर्ष 2023–24 में 38 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है।
- पूर्व से बायफ द्वारा 120 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 52 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पशुपालन विभाग की जिला योजना के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं तथा 68 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बायफ द्वारा स्वपोषित है।
- उक्त केन्द्रो मे स्थानीय महिला/पुरूष नवयुवको को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया जायेगा।
- सूकर पालन, भेड–बकरी पालन, कुक्कुट पालन एवं गौ पालन सम्बन्धित कौशल विकास हेतु स्वरोजगारी पशुपालको को प्रशिक्षण विभाग द्वारा निःशुल्क दिया जाता है।
- विभिन्न योजनान्तर्गत स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगारी बनाना।

सादर धन्यवाद